रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112020-223394
CG-DL-E-28112020-223394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3751] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942
No. 3751] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

का.आ. 4256(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण गोवा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण गोवा कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	प्रो. सुहास जगन्नाथ गोडसे, मकान सं0 525, साकेत, बोडलेम भाट, तालेगांव, तिस्वाडी, गोवा-403002	-	अध्यक्ष ;
2.	श्रीमती रेशमा मैथ्यू, पूर्व मुख्य इलेक्ट्रिक इंजीनियर, टी-8, फेज-2, तीसरा तल, फरेरा गार्डन, चौगुले महाविद्यालय के पास, गोगोल फटोर्डा, गोवा	-	सदस्य ;
3.	निदेशक (पर्यावरण)	-	सचिव ।

2. प्राधिकरण, गोवा के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, गोवा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, गोवा , गोवा राज्य के लिए इस अधिसूचना के पैरा-5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगा ।

5. प्राधिकरण, गोवा की सहायता करने के लिए केंद्रीय सरकार, गोवा की राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) (जिसे इसके पश्चात् एसईएसी, गोवा कहा गया है) का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

1.	श्री गौतम विकास देसाई, # 4 सपना सनशाइन, माडेल मडगांव, गोवा-403601	अध्यक्ष ;
2.	डॉ0 महेश एन. धवलीकर, सह आचार्य, मैकेनिकल इंजीनियर, गोवा इंजीनियरी महाविद्यालय, फारमागुडी, गोवा, मकान संख्या 213, भगवती मंदिर के सामने, धवली, फोंडा, गोवा	सदस्य ;
3.	डॉ0 सुभाष एच भोसले, सह आचार्य और प्रमुख, जन्तु विज्ञान विभाग, फोंडा एजुकेशन सोसाइटी कालेज, फोंडा 15-बी, श्री शारदा सहकारी एचएसजी सोसाइटी, होटल वेंकटेश लीला के पीछे, जेमेटिम्ब, बंडोरा, फोंडा, गोवा	सदस्य ;
4.	डॉ0 बेंजामिन ब्रेगेंका, पूर्व निदेशक, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएं, गोवा सरकार, 1578, बी बी बोरकर रोड, अल्टो पोरवोरिम, गोवा-403521	सदस्य ;
5.	डॉ0 दिपक सी.एस. गायतोंडे, पी.एच.डी. पर्यावरण विज्ञान, विभाग प्रमुख, मानविकी और विज्ञान, सरकारी पॉलिटेक्निक, पणजी ए एफ पर्रिकर हिल रेजिडेंसी, खोर्लिम, मापुसा, बार्डेज, गोवा-403507	सदस्य ;
6.	डॉ0 चन्द्रशेखर यू रिवोनकर, आचार्य, समुद्री विज्ञान विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, तालीगांव, पठार, गोवा 7017, श्री विमलेश्वर कृपा, चिन्मय मिशन आश्रम के पीछे, गोगोल, मडगांव, गोवा- 403601	सदस्य ;
7.	श्री महेश के.पाटिल, निदेशक-लीड इंडिया, निदेशक, एनवीईको एग्रो टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड, सीएफएफ 3,	सदस्य ;

	विजन पार्क, राइउकर नर्सिंग होम के पीछे, टोंका, करनजलेम, पणजी, गोवा	
8.	श्री सुजीत कुमार एम. डोंगरे, वैज्ञानिक-घ, ब्लू फ्लैग इंडिया, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, गोवा एफ 2, नाडकर्णी मनोर, डिफेंस कालोनी, फेज-2, अल्टो पोरवोरिम, बार्डेज, गोवा- 403521	सदस्य ;
9.	श्री संजय अमोनकर, मैकेनिकल इंजीनियर और संयुक्त महाप्रबंधक, सेवानिवृत्त जुआरी एग्रो केमिकल्स लि0, गोवा ए-7, साई काम्प्लेक्स सीएचएस, एयरपोर्ट रोड, चिकालिम, गोवा-403711	सदस्य ;
10.	पर्यावरण इंजीनियर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी), सालिगांव सेमिनरी के सामने, सालिगांव, बार्डेज, जीएसपीसीबी, गोवा	सदस्य-सचिव ।

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, गोवा के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एसईएसी, गोवा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

8. एसईएसी, गोवा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(क) प्राधिकरण, गोवा और एसईएसी, गोवा के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन से सहबद्ध हैं तथा परियोजना के प्रस्तावक हैं ;

(ख) वे अपने कार्यकाल के दौरान, ऐसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए कोई परामर्श नहीं देंगे या सहबद्ध नहीं होंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण गोवा और एसईएसी, गोवा द्वारा किया जाना है ; और

(ग) यदि पिछले पांच वर्षों में, प्राधिकरण, गोवा या एसईएसी, गोवा के अध्यक्ष या किन्हीं सदस्यों ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण (ई आई ए) अध्ययन किए हैं, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, गोवा और एसईएसी, गोवा की बैठकों में सम्मिलित होने से इंकार करेंगे ।

10. गोवा राज्य सरकार, प्राधिकरण, गोवा और एसईएसी, गोवा के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा ।

11. प्राधिकरण, गोवा और एसईएसी, गोवा के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता गोवा राज्य सरकार के नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे ।

[फा. सं. जे.11013-50/2008–आईए.II(I)भाग]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

S.O. 4256(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Goa (hereinafter referred to as the Authority, Goa) comprising of the following Members, namely: -

1.	Prof. Suhas Jagannath Godse, House Number 525, Saket, Vodlem Bhat, Taleigao, Tiswadi, Goa-403002	Chairman;
2.	Smt. Reshma Mathew, Ex Chief Electric Engineer, T-8, Phase-II, 3rd Floor, Fereira Garden, Nr Chowgule College, Gogol, Fatorda, Goa	Member;
3.	Director (Environment)	Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Goa shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Goa shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Goa shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 of this Notification for the State of Goa.

5. For the purpose of assisting the Authority, Goa, the Central Government in consultation with the State Government of Goa, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Goa) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri Gautam Vikas Desai, #4 Sapana Sunshine Madel, Margao, Goa-403601	Chairman;
2.	Dr. Mahesh N. Dhawalikar, Associate Professor, Mechanical Engineer, Goa College of Engineering, Farmagudi, Goa House Number 213, Opp Bhagwati Temple, Dhawali, Ponda, Goa	Member;
3.	Dr. Subhash H. Bhosale, Associate Professor and Head of Department of Zoology, Ponda Education Society's College, Ponda 15-B, Shree Sharda Co-op HSG Society, Behind Hotel Venkatesh Leela, Xemetimb, Bandora, Ponda, Goa	Member;
4.	Dr. Benjamin Braganca, Ex-Director, Animal Husbandry & Veterinary Services, Government of Goa, 1578, BB Borkar Road, Alto Porvorim, Goa-403521	Member;
5.	Dr. Dipak C. S. Gaitonde, Ph. D. Environment Science, Head of Department, Humanities & Science, Government Polytechnic, Panaji AF-Parrikar Hill Residancy, Khorlim, Mapusa, Bardez, Goa - 403507	Member;
6.	Dr. Chandrashekher U. Rivonkar, Professor, Department of Marine Science, Goa University, Taleigao Plateau, Goa 7017, Shree Vimaleshwar Krupa, Behind Chinmay Mission Ashram, Gogol, Margao, Goa-403601	Member;

7	Shri Mahesh K. Patil, Director – Lead India Director, NV Eco Agro Tourism Private Limited, C FF3, Vision Park, Behind Raiukar Nursing Home, Tonca, Caranzalem, Panaji, Goa	Member;
8	Shri Sujeetkumar M. Dongre, Scientist-D, Blue Flag India, Centre for Environment Education, Goa F2, Nadkarni Manor, Defence Colony, Phase-II, Alto Porvorim, Bardez, Goa-403521	Member;
9	Shri Sanjay Amonkar, Mechanical Engineer and Joint General Manager, Retired Zuari Agro Chemicals Ltd, Goa A-7, Sai Complex CHS, Airport Road, Chicalim, Goa-403711	Member;
10	Environmental Engineer, Goa State Pollution Control Board (GSPCB), Opp Saligao Seminary, Saligao, Bardez, GSPCB, Goa	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Goa shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Goa shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Goa shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest,-

(a) the Chairman and Members of the Authority, Goa and SEAC, Goa shall declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) they shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Goa and SEAC, Goa during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Goa and SEAC, Goa have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Goa and SEAC, Goa in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Goa shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Goa and SEAC, Goa and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Goa and SEAC, Goa shall be paid as per the rules of the State Government of Goa.

[F. No. J.11013-50/2008-IA.II (I) Pt]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.